"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 311] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2009—आश्विन 24, शक 1931

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/30/2009/वाक./पांच (37).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा, यह निर्देशित करता है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी, उसके कॉलम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जो उन्हें प्रदत्त की गई हो एवं अधिरोपित किए गए कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किए जाए और उनका मुख्यालय उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थानों पर रहेगा :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	अधिकारी का पदनाम (2)	क्षेत्र (3)	मुख्यालय (4)
1.	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (प्रवर्तन), रायपुर.	रायपुर, महासमुंद, बस्तर (जगदलपुर), दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर), नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव एवं कबीरधाम (कवर्धा) राजस्व जिला को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	रायपुर –

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (प्रवर्तन), बिलासपुर.	बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, कोरबा, जशपुर, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ राजस्व जिला को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	बिलासपुर

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-11-2009 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ-10/30/2009/वाक./पांच (37).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/30/2009/वाक./पांच (37), दिनांक 16-10-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 16th October 2009

NOTIFICATION

No. F-10/30/2009/CT/V (37).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby directs that the officers, specified in column (2) of the Schedule below shall exercise such powers as have been conferred upon them and perform such duties as have been imposed upon them by or under the said Act, in the area specified in column (3) thereof and their headquarter shall be at the place specified in column (4) of the said Schedule :—

SCHEDULE

S.No. (1)	Designation of the person (2)	Area (3)	Headquarter (4)
1.	Deputy Commissioner of Commercial Tax, (Enforcement) Raipur.	Area comprising of revenue district Raipur, Mahasamund, Baster (Jagdalpur), South Baster (Dantewada), North Baster (Kanker), Narayanpur, Bijapur and Dhamtari, Durg, Rajnandgaon and Kabirdham (Kawardha).	Raipur
2.	Deputy Commissioner of Commercial Tax (Enforcement) Bilaspur.	Area comprising of revenue district Bilaspur, Sarguja, Korea, Korba, Jashpur, Janjgir-Champa and Raigarh.	Bilaspur

2. This Notification shall come into force with effect from 01-11-2009.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/30/2009/वाक/पांच (38).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा, यह निर्देशित करता है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी, उसके कॉलम (3) में तत्स्थानी प्रवृष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो उसे प्रदत्त की गई हो एवं अधिरोपित किए गए कर्त्तव्यों का पालन् करेगा, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किए जाए और उसका मुख्यालय उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में तत्स्थानी प्रवृष्टि में विनिर्दिष्ट स्थान पर रहेगा :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	अधिकारी का पदनाम (2)	क्षेत्र (3)	मुख्यालय (4)
1.	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर बिलासपुर.	बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, कोरबा, जशपुर, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ राजस्व जिला को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.	बिलासपुर

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-11-2009 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ-10/30/2009/वाक/पांच (38).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/30/2009/वाक/पांच (38), दिनांक 16-10-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 16th October 2009

NOTIFICATION

No. F-10/30/2009/CT/V (38).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby directs that the officer specified in column (2) of the Schedule below shall exercise such powers as have been conferred upon him and perform such duties as have been imposed upon him by or under the said Act, in the area specified in column (3) there of and his headquarter shall be at the place specified in column (4) of the said Schedule :—

SCHEDULE

S.No. (1)	Designation of the person (2)	Area (3)	Headquarter (4)
1.	Additional Commissioner of Commercial Tax, Bilaspur.	Area comprising of revenue district of Bilaspur, Sarguja, Korea, Korba, Jashpur, Janjgir-Champa and Raigarh.	Bilaspur

2. This notification shall come into force with effect from 01-11-2009.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.